

गांधीवाद की प्रासंगिकता

सारांश

जैसे-जैसे दुनिया बदल रही है, गांधीजी उतने ही ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। गांधीजी के सिद्धांत जन विरोधी सरकार या कानून के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन, एक दूसरे के धर्म को समझना और उसका सम्मान करना, ऐसी आर्थिक नीति बनाना जिससे सभी का विकास हो और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुँचे तथा व्यवहार में शिष्टाचार और जनता से जुड़े कार्यों में प्रादर्शिता, आदि वे सिद्धांत हैं जो सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। इन्हें आजमा लिया जाये तो किसी भी देश में हिंसक प्रदर्शन नहीं होंगे, आईएस आईएसजैसे संगठन समाज में जहर नहीं घोल सकेंगे, दुनिया विकास करेगी लेकिन प्रकृति का पूरा ख्याल रखा जायेगा तथा कोई भी सरकार भ्रष्टाचार नहीं करेगी। सामाजिक कुप्रथाओं, दोषों एवं समस्याओं के हल के लिए जिस सामाजिक जागृति, अहिंसक लोकमत एवं भावनात्मक सहयोग की जरूरत है उसे केवल गांधीवादी दर्शन एवं कार्य प्रवृत्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दरिद्रनारायण को रोजगार दिलाने की दृष्टि से गांधीजी द्वारा समर्पित ग्राम उद्योगों का आज ही महत्व है। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा योजना में निर्हित रोजगारमुखी शिक्षा प्रवृत्ति तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर विद्यालय की अवधारणा की उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता और उसे निष्ठापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार निरकुंश एवं नियंत्रित राजशक्ति के विरुद्ध लोक शक्ति के गांधीवादी विचार का भी अत्याधिक महत्व है। वर्तमान भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में बढ़ती जातिवादी एवं साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को प्रभावहीन बनाने में गांधीवादी दर्शन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। गांधीजी ने सृष्टि के आधाभूत नैतिक नियमों एवं सार्वभौम मानवतावाद के रूप में धर्म की जो उदार एवं सारभूत व्याख्या की है वह उपर्युक्त समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकती है।



अजीत

सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान,
राजकीय कमला मोदी महिला
महाविद्यालय,
नीमकाथाना, सीकर,
राजस्थान, भारत

मुख्य शब्द : सत्य, स्वराज, न्यासिता, सर्वोदय, स्वदेशी, राजनीति का आध्यात्मिकरण, अहिंसा।

प्रस्तावना

महात्मा गांधी के विचार, दर्शन और संदेश वर्तमान के लिए बहुत सार्थक हैं। वे ही तो एक सकारात्मक तत्व हैं जो कि आधुनिक सभ्यता को सर्वनाश से बचा सकते हैं। स्थायी मान्यताएँ जैसे स्व से पूर्व सेवा, संचय से पूर्व त्याग और दूसरों के लिए चिंता बहुत तेजी से समाप्त होती जा रही है और उनका स्थान स्वार्थपरता, लालच, अवसरवाद, धोखा, चालाकी और झूठ के द्वारा लिया जा रहा है। इन सब ने द्वन्द्वों और संघर्षों को जन्म दिया है और सहिष्णुता तथा मानव प्रेम के उच्च आदर्श कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इस भयावह तरवीर को पूर्ण करने के लिए निशस्त्रीकरण के लिए अनंत होड़ लगी हुई है। युद्ध के विनाशकारी शस्त्र मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। बड़े पैमाने पर विनाश की ओर अग्रसर तकनीकों का विकास किया जा रहा है। कानून की सभी प्रणालियों, करारों, संधियों एवं गठबंधनों को मानवीय मेलजोल और शांति स्थापित करने में सफलता नहीं मिली है।

इस प्रकार के वातावरण में गांधीवाद ही आशा की एक किरण प्रस्तुत करता है। उनके मूल्य एवं सिद्धांत, आदर्श और उपदेश मानवता को आंतरिक बाह्य अमर शांति की मंजिल तक पहुँचाने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। सत्य के साथ गांधी जी के प्रयोगों ने उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था कि सत्य की सदा विजय होती है और सही रास्ता सत्य का रास्ता ही है। उनका मानना था कि 'ईश्वर ही सत्य है' कहने के स्थान पर 'सत्य ही ईश्वर है' कहना चाहिए। सत्य पालन से ईश्वर स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार के आडम्बर की आवश्यकता नहीं है। मन, वचन एवं कर्म से सत्य का पालन करना ही उसको प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। मात्र सच बोलना ही सत्य नहीं है, अपितु विचार तथा आचरण द्वारा भी

सत्यका अनुपालन आवश्यक हैं। सत्य की आराधना ही भक्ति हैं, यह कठिन है किन्तु शुभ फलदायी हैं। इससे समाज में व्याप्त बुराईयाँ दूर होनी निश्चित हैं। अक्सर लोग किसी दण्ड से बचने के लिए तथा अपने दोषों को छिपाने या किसी लाभ प्राप्ति के लिए झूठ बोलते हैं। अनुचित रूप से दूसरों को दोष देना एवं निंदा करना भी असत्य भाषण ही हैं। इसी तरह अनाप सनाप बकना, कटुता भरे वचन भी असत्य भाषण के ही रूप हैं।

किसी भी रूप में असत्य भाषण का आधार प्रलोभन, राग, द्वेष, लाभ आदि होते हैं। असत्य का अनुसरण मनुष्य के आन्तरिक और ब्राह्म्य जीवन में अनेकों विषमताएँ पैदा कर देता है और उनसे समस्त व्यक्तित्व कलुषित, सदोष बन जाता है। असत्य वक्ता के दिमाग को असाधारण सतर्कता से इतना काम करना पड़ता है कि उससे भारी मानसिक क्षति उठानी पड़ती है और उसका मानसिक संस्थान दुर्बल होने लगता है। पागलपन, मूर्च्छा, अनिद्रा स्मरण शक्ति का ह्यास, सिरदर्द, दुःस्वप्न, रक्तचाप, धड़कन, मधुमेह आदि रोग आमतौर पर इसी स्थिति में पैदा हो जाते हैं। असत्य मनुष्य के जीवन को उसी तरह प्रभावित करता है जैसे उसके स्वयं के व्यक्तित्व को। मालिक और नौकर के बीच, मित्र-मित्र के बीच, स्वजनों और संबंधियों के बीच, अविश्वास घृणा, द्वेष और दुर्भावना पैदा करने में असत्य आचरण तथा असत्य भाषण का ही पूरा हाथ होता है। कोई भी व्यक्ति धोखेबाजी भरा झूठा व्यवहार कर लगा किन्तु वह यह नहीं सहेगा कि कोई उसके साथ भी कोई धोखेबाजी करें। जब वह अपने साथ इस तरह का व्यवहार देखता है तो उसमें बड़ा क्रोध और रोष उत्पन्न होता है। जिसने ऐसा किया है उसके प्रति घृणा और प्रतिहिंसा की भावना बल पकड़ लेती है। बदला लेने के लिए जो न पड़ता है, करता है। दण्ड देने, बदला लेने, असमान निन्दा आदि में जो भी संभव होगा वह करेगा। इस तरह असत्य जहां भी प्रयुक्त होगा वहीं इस तरह के द्वेष बीज बो देगा। जिस समाज में इस तरह के झूठे, बेईमान, धोखेबाज लोग अधिक होते हैं वहां शान्ति, प्रेम, मैत्री सद्भावना के संबंध स्थिर नहीं रह पाते और परस्पर कलह, उपद्रव तथा आक्रमण की दुर्भावनापूर्ण प्रतिक्रियाएं बढ़ती और पनपती हैं। इस प्रकार झूठ, अविश्वास, घृणा के इस वातावरण को गांधीजी द्वारा बताये गये सत्याचरण से ही जीता जा सकता है।

आज वैश्विक स्तर पर हिंसा, मतभेद, घृणा तथा तनाव का जो वातावरण छाया हुआ है, उस स्थिति में गांधीजी के अहिंसा संबंधी विचार भी कम प्रासंगिक नहीं हैं। गांधीजी के अनुसार मन, वचन एवं कर्म आदि स किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना तथा सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखना ही अहिंसा है। सत्य यदि परमेश्वर है तो अहिंसा उसको प्राप्त करने का साधन है। अहिंसा के बिना सत्य की खोज भी असंभव है। वे कहते हैं कि एकमात्र वस्तु जो हमें पशु से भिन्न करती है वह है अहिंसा। व्यक्ति हिंसक है तो फिर वह पशुवत है। मानव होने या बनने के लिए अहिंसा का भाव होना आवश्यक है।

गांधीजी कहते हैं कि हमारा समाजवाद अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। जिसमें मालिक-मजदूर एवं

जमींदार-किसान के मध्य परस्पर सद्भावनापूर्ण सहयोग हो। निःशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी। सच्ची अहिंसा मृत्युशैया पर भी मुस्कराती रहेगी। बहादुरी, निर्भिकता, स्पष्टता, सत्यनिष्ठा इस हद तक बढ़ा लेना कि तीर-तलवार उसके आगे तुच्छ जान पड़े, यही अहिंसा की साधना है। शरीर की नश्वरता को समझते हुये, उसके न रहने का अवसर आने पर विचलित न होना अहिंसा है। अहिंसा की साधना से बैरभाव निकल जाता है। बैरभाव के जाने से काम, क्रोध आदि वृत्तियों का विरोध होता है। वृत्तियों के निरोध से शरीर निरोगी बनता है। मन में शांति और आनंद का अनुभव होता है। सभी को मित्रवत समझने की दृष्टि बढ़ती है। सही और गलत में भेद करने की ताकत आती है। खुद के और दूसरों के बारे में हिंसा का विचार भी न लाने से चित्त में स्थिरता आती है। पर पीड़क और स्वयं पीड़क बने, ऐसा सोचने और करने से सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। सकारात्मक ऊर्जा से हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा होने लगता है। यह खुशनुमा माहौल जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देता। यही हमारी सफलता का आधार है। इसी से हमारे रिश्ते-नाते कायम रहते हैं। अहिंसा से ही स्वयं को स्वयं की देह, मन और बुद्धि के सारे क्रियाकलापों से उपजे दुख से स्वतंत्रता मिलती है।

साहित्यावलोकन

‘भारतीय राजनीतिक विचारक’ के लेखक डॉ. श्रीराम वर्मा ने गांधीजी के सत्य, अहिंसा सत्याग्रह, एकादश व्रत, न्यासिता सिद्धांत, ईश्वर, धर्म, राजनीति, अधिकार, कर्तव्य तथा स्त्री उत्थान के संबंध पर न केवल उनके विचारों की व्याख्या की है बल्कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता को भी रेखांकित किया है। ‘माहात्मा गांधी साहित्यकारों की दृष्टि में’ डॉ० आरसू द्वारा संपादित है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद जैसे विभिन्न विद्वानों द्वारा गांधीजी के विचारों की अपने अपने ढंग से समीक्षा की गई है। स्वानंद एस पाठक द्वारा अपनी पुस्तक ‘गांधीयन थॉट्स’ में वैश्वीकरण के युग में गांधीजी के संपूर्ण चिंतन का मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध आलेख में गांधीजी की सोच, दर्शन और सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए वर्तमान वैश्विक स्तर पर व्याप्त हिंसा, मतभेद, बेरोजगारी, मंहगाई तथा तनावपूर्ण वातावरण के समाधान उनके विचारों की उपयोगिता और व्यावहारिकता को समझने का प्रयास किया गया है।

गांधीजी का सत्याग्रह सिद्धांत भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। दरअसल गांधी जी के सत्याग्रह का व्यापक अर्थ है अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, दमन करने वाली जनद्रोही भ्रष्ट और शोषण व्यवस्थाओं से असहयोग तथा समाज में शुभ चिंतन और कर्म करने वाले लोगों और संगठनों के बीच समन्वय सहकार। जहाँ तक आज के समय में इसकी प्रासंगिकता का सवाल है तो आज जरूरत है कि हम अपने ढंग से ईमानदारी के साथ सत्याग्रह का सम्यक् प्रयोग करें। मूल बात यह है कि हम सत्य पर अडिग हों, साधन शुद्धि पर हमारा भरोसा हो

और व्यापक लोकहित पर हमारा बराबर ध्यान लगा रहे। वास्तव में सत्याग्रह होना चाहिए समाज को बेहतर बनाने के लिए, निरकुंश राजसत्ता पर जनता के प्रभावी अंकुश के लिए, नया समाज गढ़ने के लिए, जड़ीभूत मूल्यों और ढांचे के ध्वंस के लिए और स्वयं अपने भीतर के कलुषों को भगाने के लिए। इस प्रकार सत्याग्रह एक प्रयास है, एक प्रक्रिया है जिसके असरदार होने में समय लगता है। यह चूर्ण की गोली नहीं है। गांधीजी ने माना था कि अहिंसक संघर्ष के लिए साधारण व्यक्तियों को शांतिपूर्ण ढंग से और अहिंसात्मक तरीकों से बुराईयों, शोषण और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बुरे नतीजों से जूझने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। सत्याग्रही रूपी संघर्ष नए समाज बनाने की जमीन तैयार करते हैं और इन्हीं प्रयासों के बीच से नेतृत्व भी निकलता है। सत्याग्रह की हजारों छोटी बड़ी लड़ाइयाँ चाहे वे असफल हों या सफल, नया समाज बनाने की तरफ एक सार्थक कोशिश हैं।

समूचा विश्व चाहे वह समृद्ध 'उत्तर' हो या विकासशील 'दक्षिण' एक अन्धी दौड़ में लगा हुआ है, एक विश्व के मानचित्र पर एक-दूसरे से अनजान दो अलग-अलग प्रकार की दौड़ हो रही है, एक दौड़ उन लोगों की है जो सम्पन्न हैं और कुछ और पाने की लालसा में दौड़ में लगे हुए हैं। दूसरी दौड़ उन लोगों की है जो दो जून की रोटी के लिए, अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए गांधीजी के विचारों अपरिग्रह व स्वराज का महत्व बढ़ जाता है। गांधीजी का विचार था कि इन सिद्धांतों के फलस्वरूप प्रत्येक राज्य सत्ता से स्वतन्त्र होकर अपने जीवन पर नियन्त्रण कर सकेगा, साथ ही गांव व ग्रामसभाएँ आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी हो सकेंगी लगभग एक शती पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था "हमारी धरती के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, पर किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं।" इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनके ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी का मंत्र था जब भी कोई काम हाथ में लो यह ध्यान में रखो कि हमसे सबसे गरीब व कमजोर व्यक्ति को क्या लाभ होगा और यदि हम स्वराज के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना और समावेशी विकास चाहते हैं तो हमें गांधीजी के इस मन्त्र को अपने जीवन का आदर्श बनाना होगा। मानव मात्र की खुशी ही गांधीजी की मूल कसौटी थी। इनका विचार था कि प्रगति को मानवीय प्रसन्नता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

वे समृद्ध समाज के ऐसे आधुनिक दृष्टिकोण में विश्वास नहीं करते थे जिसमें भौतिक विकास को प्रगति की मूल कसौटी माना जाता है। वे बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय व और सर्वोदय के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। स्वराज के बारे में उनकी संकल्पना एक ऐसे समाज के बारे में थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने एक ऐसे समाज का विचार दिया जिसमें आर्थिक प्रगति आर सामाजिक न्याय हाथ से हाथ मिलाकर चल सकें। प्रसिद्ध गांधीवादी और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने एक लेख "गांधीजी व्यक्ति की नियति" में लिखा है कि गांधीजी ने शारीरिक बल और सैन्य शक्ति

के मुकाबले में खड़े मनुष्य की अजेय आत्मा की शक्ति से विश्व का परिचय कराया था। उन्होंने भौतिक मूल्यों के विरुद्ध नैतिक मूल्यों की शक्ति तथा स्वार्थ व लालच के विरुद्ध सेवा और त्याग की शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने हमें सत्य के सौन्दर्य का मानवीय आत्मा की उत्कृष्टता का पाठ पढ़ाया। गांधीजी ना तो भौतिक समृद्धि के विरुद्ध थे और ना ही उन्होंने सभी परिस्थितियों में मशीनों के उपयोग को नकारा। उनका कहना था कि मशीनों से सभी के समय और श्रम में बचत होनी चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि मनुष्य मशीनों का दास बनकर रह जाए अथवा वह अपनी पहचान ही खो दे। वे चाहते थे कि मशीनें मनुष्य के लिए हों, ना कि मनुष्य मशीन के लिए हो।

गांधी जी ने कहा था— "आर्थिक समानता अहिंसक स्वतंत्रता की असली चाबी है।" शासन की अहिंसक प्रणाली कायम करना तब तक संभव नहीं है, जब तक अमीरों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच की खाई बनी रहेगी। नई दिल्ली के महलों और श्रमिक एवं गरीबों की दयनीय झोंपड़ियों के बीच असमानता, स्वतंत्र भारत में एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि स्वतंत्र भारत में गरीबों को वहीं अधिकार होंगे जो देश के सबसे अमीर आदमी को प्राप्त होंगे।

जैसा कि प्रसिद्ध गांधीवादी विद्वान, सुनील ने अपन हाल ही में प्रकाशित एक लेख में लिखा है, आजकल अत्याधिक उपभोग की अवधारणा को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है और अपनाया जा रहा है, वह समस्त मानव समाज को उपलब्ध नहीं हो सकता और जहां यह उपलब्ध भी है वहाँ भी लोग कोई ज्यादा खुश और स्वस्थ नहीं हैं। इससे अलग प्रकार के सामाजिक संकट और विकार पैदा हुये हैं। इसके अलावा इससे पृथ्वी की पारिस्थितिकी और पर्यावरण विनाश के कगार पर आ खड़े हुये हैं। यह एक ओर गंभीर चिंता का विषय है। यदि हम गांधीवादी नजरिये से काम करें तो हमें गांवों को स्वावलम्बी आर्थिक इकाइयों के रूप में बदलना होगा। निःसंदेह, ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को उद्योगों की ओर मोड़ना होगा। परन्तु ये उद्योग, छोटे/लघु उद्योग होंगे, जिनमें श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा, और जो मुख्य रूप से गांवों में लगाये जाएंगे।

गांवों और छोटें शहरों को पुनः विकास का केन्द्र बनाना होगा। समावेशी विकास के लिए हमें ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करेंगे और गांवों में समृद्धि तथा बुनियादी सुविधाएँ लेकर आयेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इस दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी विधेयक, 2006 को उचित ही एक परिवर्तनकारी कानून कहा जा रहा है। परन्तु देश से कुपोषण और भूख को मिटाने तथा समावेशी विकास जैसे व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। मानव मात्र के महानतम नेताओं में से एक गांधीजी, चूकि: इसी देश में पैदा हुए थे, इसलिए यह हमें सुनिश्चित करना होगा कि सबसे गरीब और कमजोर

व्यक्ति का चेहरा, हमारे नियोजन और विकास के केन्द्र में बना रहे।

आज भूमण्डलीकरण का दौर है और अब राज्य उपनिवेशवाद का स्थान बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद ने ले रखा है। गांधीजी राज्य उपनिवेशवाद से लड़े थे, हमें बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद से जूझना है क्योंकि दैत्याकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा देनेवाले विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की नापाक तिकड़ी की शिकंजा हम पर कसता जा रहा है। दरअसल गांधी के अनुसार विकास के लिए बुनियादी शर्त थी कि हम अंदर से सबल बने, आन्तरिक संसाधनों पर हमारी ज्यादा निर्भरता हो, निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाथों में हो, और हमारी सारी व्यवस्थाएँ स्वतंत्र स्फूर्त हों। एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है कि गांधीजी बाहर चीजों का एकदम निषेध नहीं करते बल्कि वे इसके न्यूनातिन्यून आवश्यकता के पक्षधर हैं क्योंकि उनका मानना था कि बाहर शक्तियों का सीमा से अधिक होने पर वे हम पर हावी होती जाएंगी परिणामस्वरूप हमारी स्वतंत्रता कम होती जाएगी।

एक स्वाभाविक सा सवाल यह भी उठता है कि क्या गांधीवाद, आतंकवाद तथा नक्सलवाद को रोकने में सफल हो सकता है इसका उत्तर पाने के लिए यह याद कर लेना उपयोगी होगा कि आतंक की तमाम कार्रवाईया चाहे वे राज्य द्वारा की जाये या छोटें बड़े समूहों द्वारा, उनके मूल में यह विश्वास काम करता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे एक प्रकार की कुव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। इस तरह उनके विरुद्ध लड़ाई बुनियादी रूप से एक नैतिक लड़ाई हो सकती है। यह कानून और व्यवस्था की समस्या कतई नहीं होती। एक बार उस नैतिक शक्ति को जागृत कर दिया जाए तो निश्चय ही बंदूक की ताकत धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी तथा इसे तुष्टिकरण के बतौर नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि यह तो वह समस्या है जिसे हम आतंकवाद के मामलों में प्रयोग में नहीं लाते, बल्कि हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। इस प्रकार साम्प्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस दौर में गांधीवाद तब और प्रासंगिक हो जाता है जब साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने के लिए गांधीजी सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखने को कहते हैं। आज भी भारत में साम्प्रदायिक तनाव के शमन के प्रभावी उपाय के रूप में सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं प्रभात फेरी जैसे गांधीवादी तकनीक का प्रयोग सामान्य है।

आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ उभरी हैं उनका समाधान भी गांधीवादी विचारों में निहित है। गांधीजी हालांकि पर्यावरण शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन प्रकृति प्रदूत नियामकों से उनका गहरा लगाव जरूर दिखाई पड़ता है। मसलन, वे 20 अक्टूबर 1927 के 'यंग इण्डिया' के अंक में छपे एक लेख में हिंदू धर्म की विशेषता बताते हुये कहते हैं कि हिन्दू धर्म न केवल मनुष्य मात्र की बल्कि प्राणी मात्र की एकता में विश्वास करता है। यह प्राणिमात्र की एकता में और पवित्रता में विश्वास रखने का व्यावहारिक प्रयोग है। जाहिर है जो प्राणि मात्र की एकता में विश्वास करेगा वह

चर-अचर, पशु-पक्षी, नदी-पर्वत-वन सबके सह अस्तित्व में विश्वास करेगा और सबके संरक्षण में तत्पर रहेगा। आज पर्यावरण बचाने के नाम पर बाघ, शेर, हाथी आदि जानवरों, नदियाँ पक्षियों, वनों आदि को बचाने का जो विश्वव्यापी स्वर उठ रहा है, वही तो सभी प्राणियों की एकता में विश्वास करने वाली बात में अन्तर्निहित है। आज पर्यावरण रक्षा के नाम पर वृक्षारोपण का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके महत्व से गांधीजी अवगत थे और अपने धर्म का दायरा विस्तृत करते हुये उसमें वृक्षपूजा को भी उन्होंने शामिल कर लिया था।

गांधीजी ने वैश्विक महासंघ की जो परिकल्पना की थी उसमें सभी राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व है। उसके अनुसार किसी भी राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के शोषण की आजादी नहीं रहेगी और नही कोई राष्ट्र इतना मोहताज या लाचार होगा कि अन्य राष्ट्र उसके स्वत्व का दोहन या उसकी सम्प्रभुता का अपहरण कर सके। दरअसल गांधीजी का विचार था कि हमारे दिमाग की खिड़कियाँ इतनी जरूर खुली होनी चाहिए कि हम बाहर की चीजों का लाभ उठा सकें, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दरवाजे इतने न खुल जाए कि बाहर का भीषण अंधड़-तूफान हमारे अंदर दाखिल होकर हमारे परखच्चे उड़ा दे। गांधीजी के अनुसार हमें बाहर की खुली ताजी हवा चाहिए, बाहर की संज्ञाध नहीं कि जिसके रोगाणु हम पर हमला कर दें। भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं पर गांधीजी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये उनके समाधान के मार्ग सुझाए। बालविवाह, पर्दाप्रथा, विधवाओं की स्थिति, दहेज तथा तलाक आदि सामाजिक कुरीतियों का मुख्य कारण वे स्त्रियों की अशिक्षा को मानते थे तथा इन्हे दूर करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देते थे। उनका विचार था कि समाज में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए तथा स्त्रियों को अपने अधिकारों से वंचित करने के पुरुषों के कुचक्र की उन्होंने कटुआलोचना की तथा इस संबंध में धर्म शास्त्रों में दिये गये सन्दर्भों को अनुचित ठहराया। यद्यपि वे विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थक नहीं थे, तथापि उनका विचार था कि बालविवाह की समाप्ति से विधवाओं की समस्या का समाधान हो सकेगा। संक्षेप में, गांधीजी भारतीय समाज में महिलाओं की खराब स्थिति से चिंतित रहे तथा उनके उत्थान के लिए प्रयास करते रहे।

गांधी जी के धर्म संबंधी विचार भी अत्यंत व्यापक एवं उपयोगी हैं। उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है, जैसे शाश्वत सत्य, सापेक्ष सत्य, नैतिक शक्ति, नैतिक मूल्य, कर्तव्य, विभिन्न सद्गुण, सदाचार पूर्ण जीवन आदि। धर्म का स्रोत उन्होंने ईश्वर को माना है। सत्य एवं अहिंसा को धर्म का आवश्यक लक्षण बताया है। व्यक्ति को सर्वधर्म समभाव के आदर्श का पालन करने के लिए उन्होंने कहा है। धर्म को साधन तथा ईश्वर को साध्य माना है। यही कारण है कि अन्य सभी कार्यों की तरह राजनीति का संचालन भी वे धर्म के अनुसार करने की बात करते हैं। उनका कथन है, "मैं धर्म से भिन्न राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता। वास्तव में धर्म तो हमारे हरेक काम में व्यापक होना चाहिए।" इस

प्रकार आज की धर्मान्धता, कट्टरता, नैतिक मूल्यों के पतन की स्थिति को उनके धर्म संबंधी विचारों को व्यवहार में अनुस्यूत करके काफी हद तक दूर किया जा सकता है। जहां तक वर्तमान राजनीति में आई गिरावट का सवाल है उसे भी गांधीवादी विचारों को अपनाकर दूर किया जा सकता है। गांधीजी का कथन है कि, "मेरे लिए धर्म विहीन राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। राजनीति धर्म के अधीन होती है। धर्म से अलग हुई राजनीति मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा को मारती है।" उनका निष्कर्ष था कि धर्म तथा नैतिक शक्ति के साथ राजनीति का संयोग करने पर ही मानव जाति की सार्वजनिक समस्याओं का नैतिक हल प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार राजनीति का संचालन नैतिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए अर्थात् राजनीति का आध्यात्मीकरण किया जाना चाहिए तथा साध्य की पवित्रता के साथ ही साधन की पवित्रता को भी स्वीकार जाना चाहिए तथा राजनीति को लोक सेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए।

अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में उन्होंने दोनों को पूरक बताया है। गांधीजी के अनुसार अधिकारों का मूल स्रोत कर्तव्य होते हैं तथा कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ही अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः इन दोनों का संतुलन एवं सामंजस्य सार्वजनिक हित को सिद्ध करता है जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गांधीजी की शिक्षा योजना भी वर्तमान में अपना विशिष्ट महत्व रखती है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क करने की बात कही जो आज पूरे देश में लागू है। उनके अनुसार शिक्षा बुनियादी दस्तकारी के आधार पर दी जानी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, उच्च शिक्षा में तकनीकी व इंजिनियरिंग कॉलेजों को उनसे संबंधित उद्योगों से जोड़ा जाना चाहिए, मेडीकल कॉलेजों को सार्वजनिक अस्पताओं से जोड़ा जाये इत्यादि। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गांधीजी के शिक्षा संबंधी विचार पर्याप्त स्पष्ट एवं व्यावहारिक हैं। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति एवं समाज दोनों के आधारभूत हितों की पूर्ति का साधन माना है। उनकी शिक्षा योजना भारत की राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है।

गांधीजी ने अस्पृश्यता की पृथा का विरोध करते हुये इसे हिन्दूधर्म का कलंक बताया। अस्पृश्यता को वे मनुष्य व ईश्वर दोनों के प्रति अपराध मानते थे। वे इसे राष्ट्र की प्रगति एवं उत्थान की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा भी मानते थे। उनके अनुसार अस्पृश्यता मानवता का अपमान है। इसे दूर करने के लिए उन्होंने कानून तथा हृदय परिवर्तन के साधनों के महत्व का स्वीकारा। अतः स्पष्ट है कि आज भी कहीं न कहीं जो लोगों के दिमाग में अस्पृश्यता के बीज हैं उन्हें गांधीवादी हृदय परिवर्तन से खत्म किया जा सकता है।

गांधीजी का न्यासिता सिद्धांत भी वर्तमान विषमता, गरीबी को खत्म करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आज कारपरेट सेक्टर की कंपनियों पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाना

अनिवार्य कर दिया है जो गांधीजी के विचारों की ही जीत है। गांधीजी का रोटी के लिए श्रम सिद्धांत भी श्रम की गरिमा तथा व्यक्ति को आत्मसंतोष प्रदान करता है जो किसी भी युग में प्रासंगिक रहेगा। उनका स्वदेशी सिद्धांत वर्तमान में भारत के व्यापार भुगतान असंतुलन तथा स्वावलम्बी, मजबूत तथा रोजगारन्मुखी अर्थव्यवस्था को निर्मित करने में आज भी उपयोगी है। गांधीजी ने अपनी विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्पों, खादी एवं चरखों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है जो वर्तमान बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने एक ऐसी अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा को भी स्वीकारा है जिसमें राष्ट्रों के आपसी संबंध समता, न्याय, बंधुत्व, शांति एवं मानवीय एकता के नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो।

निष्कर्ष

इस प्रकार गांधीजी ने हिंसा व संघर्ष से पीड़ित मानव समाज के सामने अहिंसा तथा सहयोग को व्यावहारिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि मानव इतिहास व्यक्ति की कमियों पर उसके सदगुणों की विजय है, तो यह सुनिश्चित है कि सार्वभौम मानववाद से अनुप्राणित गांधीजों का चिंतन युगों तक जीवित रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- पारेख, भीखू, 1995, गांधीजी पालिटिकल फिलोसफी: ए क्रिटिकल एग्जामिनेसन अजन्ता, नई दिल्ली
- टरचेक, रोनाल्ड जे, 2000, "गांधियन ओटोनोमी इन द लेट-मॉडर्न वर्ल्ड" इन एन्थोनी जे परेल (ईडी) गांधी, फ्रीडम एण्ड सेल्फ रूल विस्तार नई दिल्ली
- अय्यर राघवन, 1973, द मोरल एण्ड पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी ओ यू पी, नई दिल्ली।
- ग्रेग आर. बी. (2013) पावर ऑफ नॉन वाइलेंस, रीड बुक्स लि.
- गुहा, आर. (2013) गांधी बिफोर इण्डिया, न्यू देहली: पेग्विन
- पारेख, भीखू (2001) गांधी ए वेरी शार्ट इन्ट्रोडक्सन आक्सफोर्ट युनिवर्सिटी प्रेस
- सेठिया, टी. (2012) गांधी: पायनियर ऑफ नानवाइलेंट सोशल चेंज बोस्टन पियरसन
- टैगोर, आर 2002 महात्माजी एण्ड डिप्रेस्ड ह्यूमिनिटी ईस्टन वेस्ट न्यू देहली रूपा एण्ड को.
- शंकर. आर 1969 टू स्टोरी ऑफ गांधी, न्यू देहली, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट
- वर्मा, श्रीराम (2016) भारतीय राजनैतिक विचारक, कालेज बुक सेण्टर, जयपुर।
- पाठक एस स्वानंद (2005) 'गांधीयन थॉट्स' सीवीएस पब्लिकेशन पीवीटी लि०
- डॉ आरसू 'महात्मा गांधी साहित्यकारों की दृष्टि में' (2015) प्रभात पब्लिकेशन